संख्या 22/1/2017–सम.
भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

छठा तल, बी विगं, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
दिनांकः 31 मार्च, 2017

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्यविधि नियम के खंड 5 एंव 6(अधिसूचना (जीएसआर 365) दिनांक 17 सितम्बर, 2004 के द्वारा जारी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आयोग के कार्य को पूरा करने में उनकी सहायता करने के लिए, आयोग की उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्यों में केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों से संबंधित कार्य (जहां तक कि यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधिदेश से संबंधित हो) आवंटित करते हैं, जिसे नीचे की तालिका में दिया गया है :–

कं. सं.	नाम एंव पदनाम	केन्द्रीय मंत्रालय(उनके संबंधित नियंत्रण के अंतर्गत लोक उद्यम, स्वायत्त निकाय इत्यादि)	अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए दौरे करने के उददेश्य के लिए राज्य / संघ शासित क्षेत्र	कॉलम 3 एंव 4 में उल्लिखित विषयगत मामलों के लिए आवंटित एकक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	**माननीय श्री नन्द कुमार साय**	सभी नीतिगत मामले, अंतराष्ट्रीय संबंध, योजना प्रकिया में सलाह, समन्वय एकक में निपटान किये जाने वाले सभी मामले । कोयला, इस्पात एंव खान मंत्रालय का सम्पूर्ण पर्यवेक्षण तथा सभी मंत्रालयों, लोक क्षेत्र उद्यम एंव स्वायत्त निकायो से संबंधित मामलों के संबंध में प्रवर प्रभार ।	सभी राज्य सरकारों एंव संघ शासित क्षेत्र प्रशासन से संबंधित मामलों के संबंध में सम्पूर्ण पर्यवेक्षण एंव उच्च प्रभार ।	सभी एकक
2	**सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष**	(i) कृषि एंव किसान कल्याण (ii) कृषि और ग्रामीण उद्योग (iii) रसायन और उर्वरक (iv) नागरिक उड्डयन (v) परमाणु ऊर्जा विभाग (vi) स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण	1 बिहार 2 छत्तीसगढ़ 3 झारखण्ड 4 मध्य प्रदेश 5 ओडिशा 6 पश्चिम बंगाल 7 अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	आरयू–III

		(vii) आयूष (viii) भारी उद्योग एंव लोक उद्यम (ix) गृह मंत्रालय (x) मानव संसाधन विकास (xi) सूचना एंव प्रसारण (xii) श्रम एंव रोजगार **(xiii)** न्याय एंव विधि (xiv) **खान मंत्रालय*** (xv) नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा (xvi) महिला एंव बाल विकास		
3	**श्री एच. सी. वसावा, सदस्य**	(i) भारत चुनाव आयोग (ii) गैर पारंपरिक ऊर्जा (iii) महासागर विकास (iv) पंचायती राज (v) संसदीय मामले (vi) कार्मिक, लोक शिकायत एंव पेंशन (vii) रेलवे (viii) शहरी रोजगार एंव गरीबी उन्मूलन (ix) जल संसाधन, नदी विकास एंव गंगा कायाकल्प (x) ऊर्जा (xi) पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस	1. गुजरात 2. हरियाणा 3. हिमाचल प्रदेश 4. जम्मू एंव कश्मीर 5. पंजाब 6. चण्डीगढ़ 7. दादरा और नगर हवेली 8. दामन एंव दीव 9. दिल्ली 10. उत्तराखण्ड 11. उत्तर प्रदेश	आरयू–I
4	**श्री एच. के.डामोर, सदस्य**	(i) मंत्रीमण्डल सचिवालय (ii) सीएजी (iii) अंतरिक्ष विभाग (iv) सुक्ष्म,लघु एंव मध्यम उधोग (v) अल्प संख्यक मामले (vi) पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (vii) नीति आयोग (viii) राष्ट्रपति सचिवालय (ix) सड़क परिवहन एंव राजमार्ग (x) ग्रामीण विकास (xi) विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी (xii) सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता (xiii) सांख्यिकी एंव कार्यक्रम कार्यान्वयन **(xiv) इस्पात***	1. असम 2. अरुणाचल प्रदेश 3. मणिपुर 4. मेघालय 5. मिजोरम 6. नगालैंड 7. सिक्किम 8. त्रिपुरा 9. राजस्थान	आरयू–II

		(xv) वस्त्र (xvi) जनजातीय कार्य (xvii) शहरी विकास (xviii) युवा मामले एंव खेल (xix) संघ लोक सेवा आयोग		
5	**श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य**	**(i) कोयला*** (ii) वाणिज्य एंव उद्योग (iii) संचार एंव सूचना प्रौद्योगिकी (iv) उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव लोक वितरण (v) निगमित कार्य (vi) सांस्कृतिक (vii) रक्षा (viii) निवेश एंव लोक सम्पति प्रबंधन (ix) पृथ्वी विज्ञान (x) पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिवर्तन (xi) विदेश (xii) वित्त (xiii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (xiv) विदेशी भारतीय मामले (xv) जहाजरानी (xvi) पर्यटन	1. आन्ध्र प्रदेश 2. गोवा 3. कर्नाटक 4. केरल 5. महाराष्ट्र 6. तमिलनाडु 7. तेलंगाना 8. पुडुचेरी 9. लक्षद्वीप	आरयू–IV

टिप्पणी:*नोट किया जाए कि संबंधित मंत्रालय, अध्यक्ष महोदय द्वारा देखें जाएंगे ।

2. यह आदेश पूर्व में इस विषय पर जारी किए गए आदेशों को अधिकमित करता है । मामले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अनुसंधान एकक/समन्वय एकक के प्रभारी अधिकारी, उनको आवंटित विषयगत मामलों पर फाईल एंव दस्तावेज उचित माध्यम से संबंधित सदस्य/उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगें ।

के० डी० बंसौर

(के.डी.बंसौर) श्रीमती
निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
2. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
3. सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सचिव।
4. जनजातीय कार्य मंत्री, के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
5. जनजातीय कार्य राज्य मंत्री, के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
6. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रधान निजी सचिव।
7. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निजी सहायक।